46

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन संख्या–583/2022 श्री नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनॉक 14–09–2022 के अनुपालन में समिति का गठन कर स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 583/2022 श्री नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न विभागों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जौंक।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया, जिसके अनुक्रम में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्रान्तर्गत रामझूला सेतु से जानकी झूला सेतु तक ठेली वालों के द्वारा अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.11.2022 को किया गया।

1. श्री प्रमोद कुमार उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर गढ़वाल
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री राकेश कण्डारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्रीमती मन्जु चौहान, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, पौड़ी गढ़वाल।

स्थलीय निरीक्षण के समय श्री नवीन राणा, पार्षद, शिकायतकर्ता ऋषिकेश उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण में शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत स्थिति पायी गयी है, जिसके फोटोग्राफ संलग्न संलग्न है।

शिकायती पत्र का बिन्दु संख्या	शिकायत का विवरण	स्थलीय स्थिति
1	रामझूला से गीता भवन की ओर मुड़ते ही दिल्ली वालों की दुकान के सामने, जोशी प्रोविजन स्टोर, करघा वस्त्रालय के सामने तथा गीता भवन पूड़ी मिठाई की दुकान के सामने भी बेतरतीब ठेलियॉ लगी हुयी हैं तथा भारी गंदगी व्याप्त है।	रामझूला से गीता भवन की ओर मुड़ते हुए जोशी प्रोविजन स्टोर, करघा वस्त्रालय के सामने लगभग 2–3 पंजीकृत ठेलियां चलायमान स्थिति में पायी गयी हैं तथा चलायमान स्थिति में होने के कारण उक्त स्थल पर नगर पंचायत कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है तथा गंदगी जैसी कोई स्थिति नहीं पायी गयी।
2	नाव घाट के ऊपर भी चाय आदि की स्थायी ठेलियॉ/स्टाल लगी हुयी हैं, जो भारी गंदगी करते हैं।	निरीक्षण के सयम नाव घाट पर चाय की कोई ठेली नहीं लगी पायी। नावघाट के उपरी भाग में मार्ग पर एक पंजीकृत ठेली लगी है। उक्त ठेली संचालक द्वारा ठेली पर कूड़ादान की व्यवस्था की गयी है जिससे उक्त ठेली से उत्पादित होने वाला अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं जाता है।
3	नई धर्मशाला के गेट पर स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के एक कर्मचारी द्वारा एक चाय की दुकान स्टॉल, बहुत ही बेतरतीब तरीके से लगाकर सड़क के उपर अतिक्रमण किया हुआ है तथा बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई हुयी है।	नई धर्मशाला के गेट पर लगाया गया चाय का स्टाल सड़क के किनारे है। उक्त स्टॉल पर सम्बन्धित द्वारा कूड़ादान की व्यवस्था की गयी है, जिससे अपशिष्ट इधर–उधर नहीं फैलता है।
4	लक्ष्मी नारायण मंदिर के घाट के दोनों साइड की सीढ़ियों पर करीब 20 स्टॉल वालों के द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है, जहॉ पर भारी गंदगी व्याप्त है और पूरे का पूरा घाट बन्द कर दिया गया है। इन ठेली वालों के द्वारा घाट पर ठेली लगाने से महिलाओं को स्नान आदि करने में भी बहुत दिक्कत होती हैं तथा इसी आड़ में नहाने वाले यात्रियों के कपड़े, पर्स, जेवर आदि भी चोरी	स्वर्गाश्रम में लक्ष्मीनारायण मन्दिर के समीप लगभग 12 पंजीकृत स्टाल हैं। इस स्टॉल के कारण गंगा घाट पर आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उक्त ठेलियॉ गंगा घाट से पर्याप्त दूरी पर लगी हुयी हैं। उक्त ठेली संचालकों द्वारा अपशिष्ट हेतु कूड़ादान भी लगाये गये हैं। उक्त स्थल पर समस्त ठेली संचालक लाईसेंस धारक हैं।

	होते रहते हैं, जिसकी सूचना पुलिस के द्वारा दर्ज किये जाने में सदैव आनाकानी की जाती है, जिस कारण यह घटनाऐं रिकार्ड पर नहीं आ पाती। ठेली वालों में अधिकॉश लोग बाहरी क्षेत्रों के हैं।	
5	गीता भवन के सामने लगभग आधी सड़क घेरकर ठेली व स्टाल लगाये गये हैं, जहॉ बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है तथा देखने में भी बहुत अधिक बुरा लगता है।	गीता भवन नं–1 के मुख्य द्वार के सामने वाले मार्ग पर लगभग 2–3 पंजीकृत ठेली संचालक व्यवसाय करते हैं, जिनके द्वारा अपशिष्ट हेतु कूड़ादान रखे गये हैं इसलिये स्थलीय निरीक्षण के दौरान गंदगी जैसी कोई स्थिति नहीं पायी गयी।
6	गीता भवन के गेट पर भी ठेली वालों का भारी जमावड़ा रहता है तथा गीता भवन से लेकर भारत साधू समाज बाजार प्रारंभ होने तक भी सड़क के उपर स्थाई अतिक्रमण हो चुका है, जहॉ पर बहुत ज्यादा गंदगी व्याप्त रहती है। यहॉ पर एक ही परिवार द्वारा कुल 06 ठेलियॉ/स्टाल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। और यह ठेलियां ठीक गीता भवन नंबर 01 के गेट के सामने आधी से ज्यादा सड़क को घेरकर लगाई जाती हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती कि अधिकारी भी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।	गीता भवन नं0–1 के मुख्य द्वार के समीप वाले मार्ग पर 02 पंजीकृत ठेलियॉ/स्टॉल लगे हैं, जिनके कारण मार्ग पर आवागमन में कोई कठिनाई स्थलीय निरीक्षण के दौरान नहीं पायी गयी।
7	इसके पश्चात बाजार को पार करते ही गीता भवन नंबर–02 के गेट के सामने पंजाब नेशनल बैंक के सामने परमार्थ निकेतन घंटाघर के निकट तथा आगे जानकी सेतु तक इसी प्रकार ठेली वालों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर पूरी की पूरी सड़क पर अतिक्रमण किया गया है।	गीता भवन नं0–2 के सामने एवं पंजाब नेश्नल बैंक स्वर्गाश्रम के सामने वाले मार्ग पर लगभग 2–3 पंजीकृत ठेलियॉ चलायमान स्थिति में संचालित होती हैं।
8	गीता भवन नंबर–03 और वानप्रस्थ आश्रम के बीच वाली गली तथा गंगा जी की ओर जाने वाले रास्ते पर काशी सिंह के द्वारा बाहर से झोपड़ी तथा अंदर पक्का निर्माण कर पूरे का पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है।	गीता भवन नं0–3 एवं वानप्रस्थ आश्रम के बीच वाली गली में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक अस्थाई झोपड़ी बनाकर अतिकमण किया गया है।
9	इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम के बाहर पूर्व में कुंभ मेला द्वारा लगाए गए शौचालयों पर अतिक्रमण कर उसके ऊपर पूरी की पूरी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है।	यह सम्पत्ति सरकारी भूमि है, जो कि **जानकी पुल रामझूला के मुख्य मार्ग से लगी हुई है, जिसमें 02 अस्थाई झोपड़ियों का निर्माण कर सरकारी भूमि पर अतिकमण किया गया है। (आख्या संलग्न)**
10	स्वर्गाश्रम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें ठेली/स्टॉल वालों के द्वारा बेतरतीब ठेलियॉ लगाये जाने से पूरे के पूरे क्षेत्र की छवि धूमिल होती है तथा इससे पर्यटन उद्योग पर भी विपरीद प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार की गंदगी और बहुत ही भद्दे पन को देखकर पर्यटक यहां पर क्या छवि लेकर जाते हैं यह एक विचारणीय प्रश्न है।	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत भाग मैदानी तथा लगभग 40 प्रतिशत भाग पर्वतीय है। अधिकॉश भूमि विभिन्न संस्थाओं/आश्रमों के स्वामित्व की है जिनके द्वारा चारदीवारी की गयी हैं। वर्तमान परिदृश्य में समस्त ठेलियों, फड़ों, खोमचों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है।
11	इस पर अंकुश न लग पाने के कारण यह लोग आय दिन अपने रिश्तेदारों एवं परिवार के लोगों	नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि समय–समय पर अवैध ठेली संचालकों को हटाने की कार्यवाही भी अमल में

	को बुलाकर यहां नए–नए स्टॉल स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि यह समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। इनमें से कई लोगों द्वारा अवैध शराब तथा अन्य अवैध मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना भी समय–समय पर प्राप्त होती रहती है तथा इनमें से ज्यादातर लोग घरेलू सिलेंडर का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। प्रत्येक ठेली पर एक सिलेंडर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक स्थिति बनी हुयी है। हाल ही में जोशी प्रोविजन स्टोर के सामने एक ठेली के सिलेण्डर में आग लगने के कारण दुकान का भी बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा, जिसमें दुकान मालिक के हाथ भी झुलस गये थे तथा इसी प्रकार राम झूला के निकट उमाशंकर दिल्ली वालों के सामने भी सिलिंण्डर में आग लगने की एक घटना हाल ही में घटित हो चुकी है, जिससे किसी भी समय कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसके लिये भी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक की होगी। इन ठेलियों पर अवैध रूप से केरोसिन स्टोव, घरेलू गैस सिलिंण्डरों व चूल्हों का भी व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते आगजनी की कुछ घटनायें हो चुकी हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या हम वाकई किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?	लायी जाती है। अधिकांश ठेली संचालकों द्वारा व्यावसायिक गैस सिलिंण्डरों का उपयोग किया जाता है। घरेलू गैस सिलिंण्डर के उपयोग की स्थिति में जब्ती/अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रशासन द्वारा अमल में लायी जाती है।
12	अवगत कराना है कि अतिक्रमण करियों में अधिकांश लोग स्वर्गाश्रम क्षेत्र के नहीं हैं, तथा कुछ अधिकारियों के द्वारा मात्र स्वार्थपूर्ति के कारण भारतवर्ष के अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक एवं तीर्थ स्थल स्वर्गाश्रम क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा अवगत कराया गया कि ठेली संचालकों को लाईसेंस नियमानुसार सत्यापन के उपरान्त ही निर्गत किये जाते हैं। नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा पात्रता पूर्ण करने पर स्वर्गाश्रम क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र के निवासियों को भी उत्तराखण्ड फेरी नियमावली–2016 के प्राविधानों के अनुसार ठेली संचालन हेतु लाईसेंस निर्गत किये जा सकते हैं।
13	अतः इस अवैध तथा बेतरतीव अतिक्रमण को हटा कर इन्हें वेद निकेतन आश्रम के सामने जानकी झूला के निकट सभी को एक स्थान पर स्थान दिया जा सकता है, जो क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा वहां पर इन्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि जानकी झूला आज एक व्यस्ततम स्थान है और जहॉ पर पूरा दिन और देर रात्रि तक लोगों का आवागमन रहता है। इससे इनके व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा तथा क्षेत्र भी साफ स्वच्छ सुन्दर हो जायेगा।	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड फेरी नियमावली–2016 के अनुसार गठित नगर फेरी समिति की बैठक दिनॉक–15 नवम्बर, 2022 को गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र (Vending Zone) का निर्धारण किया गया है। नगर फेरी समिति द्वारा गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र में यथा आवश्यकता मार्गों से ठेली/फड़ों को शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र अमल में लायी जायेगी।

नगर पंचायत, जौंक क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं–3, चोटीवाला होटल से वार्ड नं–4 जानकी सेतु तक, जिसकी कुल लम्बाई 1200 मीटर है, पर कुल 57 रजिस्ट्रड ठेलियों संचालकों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत (Vending Zone) हेतु वर्तमान समय में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक में उत्तराखण्ड फेरी नियमावली–2016 के अनुसार फेरी समिति की बैठक में 07 वेन्डिंग जोन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत स्वर्माश्रम, जोंक क्षेत्र में ठेलीयों, फड़ों के संचालन से गंगा नदी में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट निस्तारित होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये गये–

1. नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा पंजीकृत वेन्डरों को ही संचालन की अनुमति दी जायी तथा निर्धारित वेन्डिंग जोन में ही व्यवसाय करने हेतु सुनिश्चित किया जाये।
2. वेन्डिंग जोन एवं प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाये।
3. घाटों/नदी किनारों पर उत्प्रवाह जनित करने वाले व्यवसायों/वेन्डरों को प्रतिबन्धित किया जाये।
4. क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये एवं वेन्डरों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त मात्रा में कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाये।

(मन्जू चौहान)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक
पौड़ी गढ़वाल।

(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

(प्रमोद कुमार)
उप जिलाधिकारी
यमकेश्वर गढ़वाल।

(रमेश चन्द बहुगुणा)
राजस्व निरीक्षक
उदयपुर तल्ला-1,
यमकेश्वर, गढ़वाल

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल के पत्र संख्या 445(1)/21–एल०बी०सी०–जाँच/2022–23 पौड़ी दिनांक अक्टूबर 19, 2022 के विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–583/2022 नवीन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में गठित समिति सदस्य श्रीमान उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर के निर्देश के अनुपालन में प्रार्थी नवीन राणा, सभासद, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक जिला पौड़ी गढ़वाल के शिकायती पत्र जो कि उनके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है के बिन्दु संख्या–08 कि गीताभवन नं० 03 और वानप्रस्थ आश्रम के बीच वाली गली तथा गंगा जी की ओर जाने वाले रास्ते पर काशी सिंह के द्वारा बाहर से झोपड़ी तथा अंदर पक्का निर्माण कर पूरे का पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है। व बिन्दु संख्या–09 कि वानप्रस्थ आश्रम के बाहर पूर्व में कुम्भ मेला द्वारा लगाये गये शौचालय पर अतिक्रमण कर उसके ऊपर पूरी की पूरी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, के सम्बन्ध में जाँच की गयी जाँच में पाया गया कि–

वानप्रस्थ के बाहर वर्तमान में काशी सिंह के द्वारा एक अस्थायी झोपड़ी बनाकर दुकान चलायी जा रही है। यह भू–भाग जिस पर कि इनके द्वारा झोपड़ी डाली गयी है उत्तराखण्ड सरकार के नाम खसरा संख्या–107 बगड़ के रूप में कागजात दर्ज हैं। इस भूमि पर इनके द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या–258/बैठक नगर फेरी/2022–23 दिनांक 08 जुलाई, 2022 के क्रम में उक्त अतिक्रमित क्षेत्र को वेंडिंग जोन प्रस्तावित किया गया है। एवं नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक के पदाधिकरियों द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम द्वारा उक्त अतिक्रमण कर्ता की दुकान पर गृहकर लगाया गया है, जो कि दयाशंकर सिंह, गीताभवन नं० 03, स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल हाऊस टैक्स 500.00 रूपये वार्षिकी दर से लगाया गया है, जो कि हमारे पंजिका के क्रमांक–56 पर दर्ज है।

वानप्रस्थ आश्रम के बाहर वर्तमान में कोई शौचालय नहीं बनाया गया है। सम्भवतः कुम्भ मेले के समय मोबाईल टॉयलेट (चल शौचालय) वानप्रस्थ के बाहर खड़ा किया गया होगा। वानप्रस्थ के बाहर पुलिस चौकी, जानकी पुल, थाना लक्ष्मणझूला, पौड़ी गढ़वाल की दिशा में जो भू–भाग सड़क एवं वानप्रस्थ के बीच में है। उसमें सुनील, अनिल पुत्रगण मोती सिंह का पक्का भवन बनाया गया है। वर्तमान में इनका पट्टा निरस्त है। एवं मा० न्यायालय में अतिक्रमण के खिलाफ इनके विरूद्ध कार्यवाही गतिमान है। मधुसूदन शर्मा के द्वारा भी उक्त भू–भाग पर दुकान बनायी गयी है। जिनका पट्टा पूर्व में निरस्त किया गया था। वर्तमान में मा० न्यायालय में विचाराधीन है। इनके बगल में सूरज शर्मा पुत्र मधुसूदन शर्मा, राना पुत्र सियाराम, प्रेम सिंह राठौर पुत्र राजू सिंह राठौर, राजू पुत्र रामसिंह, वीरपाल पुत्र रामसिंह, के द्वारा अस्थायी ठेलियाँ खाली स्थान पर खड़ी की गयी हैं। जिनसे नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा कोई ठेली लाईसेन्स देकर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। सभी ठेलियाँ अवैध है। इसके अतिरिक्त इन ठेलियों के बगल में मन्जू देवी पत्नी अनिल सिंह के द्वारा एक कच्ची झोपड़ी डालकर अतिक्रमण किया गया है जिनसे नगर पंचायत स्वर्गाश्रम–जौंक के द्वारा गृहकर लगाया गया है। जो कि पंजिका में नंबर सिलसिला 124 पर दर्ज है जिसमें 500.00 रूपये इनसे गृहकर लिया जाता है। उपरोक्त सभी अतिक्रमित ठेलियों एवं झोपड़ीयों के स्वामियों द्वारा भू–खण्ड के स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज निर्देश करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी ठेलियां एवं झोपड़ीयां अवैध रूप से भूमि को अतिक्रमित कर अतिक्रमण किया गया है। वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज सीमाद्योतक चिन्ह मौके पर मौजूद नहीं है। वानप्रस्थ के बाहर उक्त भू–खण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त ही भू अभिलेखों के मिलान करने के बाद ही स्पष्ट की जा सकती है। क्योंकि राजस्व अभिलेखों में दर्ज बन्दोबस्त चिन्हों के अनुरूप मौके पर कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। वन विभाग के नजदीकी सीमाद्योतक चिन्हों से पैमाईस के उपरान्त ही उक्त अतिक्रमित भू–खण्ड की स्वामित्व सम्बन्धी स्पष्ट रिपोर्ट दी जानी सम्भव होगी।

रिपोर्ट वाद जाँच सेवा में संप्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/11/2022

राजस्व उप–निरीक्षक

उदयपुर तल्ला–1

लक्ष्मणझूला यमकेश्वर

पौडी गढ़वाल

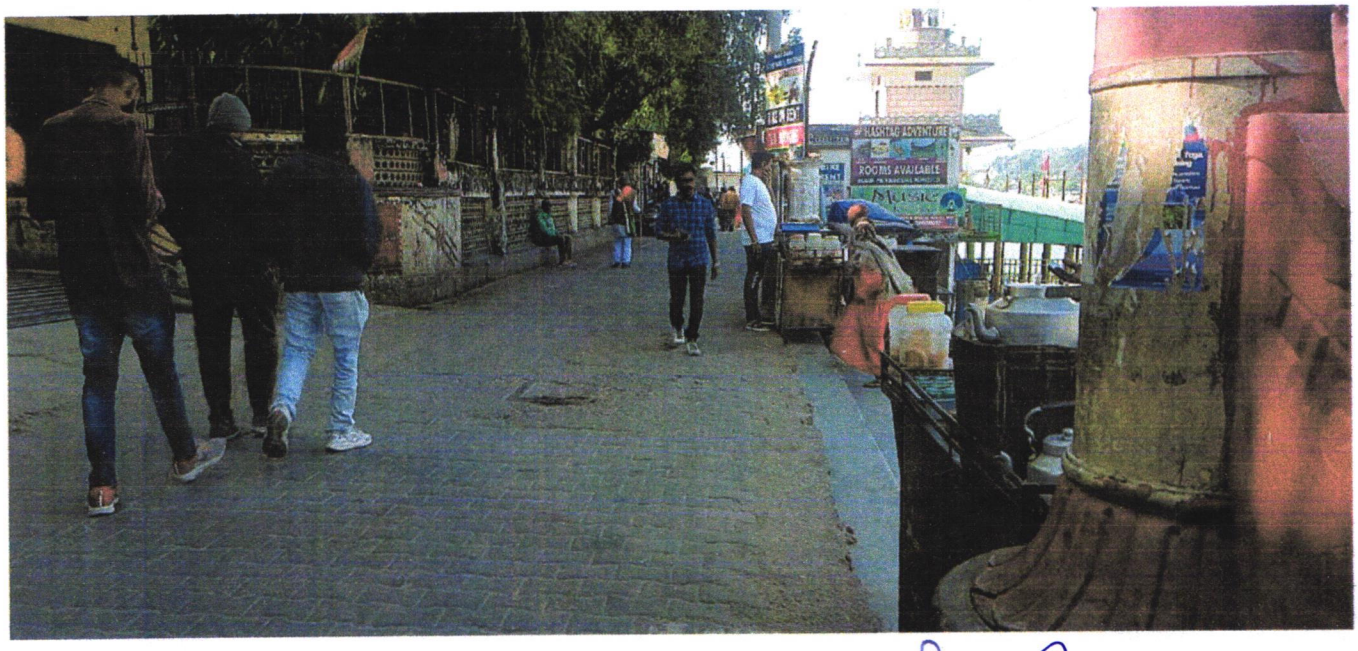

लक्ष्मीनारायण गंगा घाट के समीप वाला मार्ग

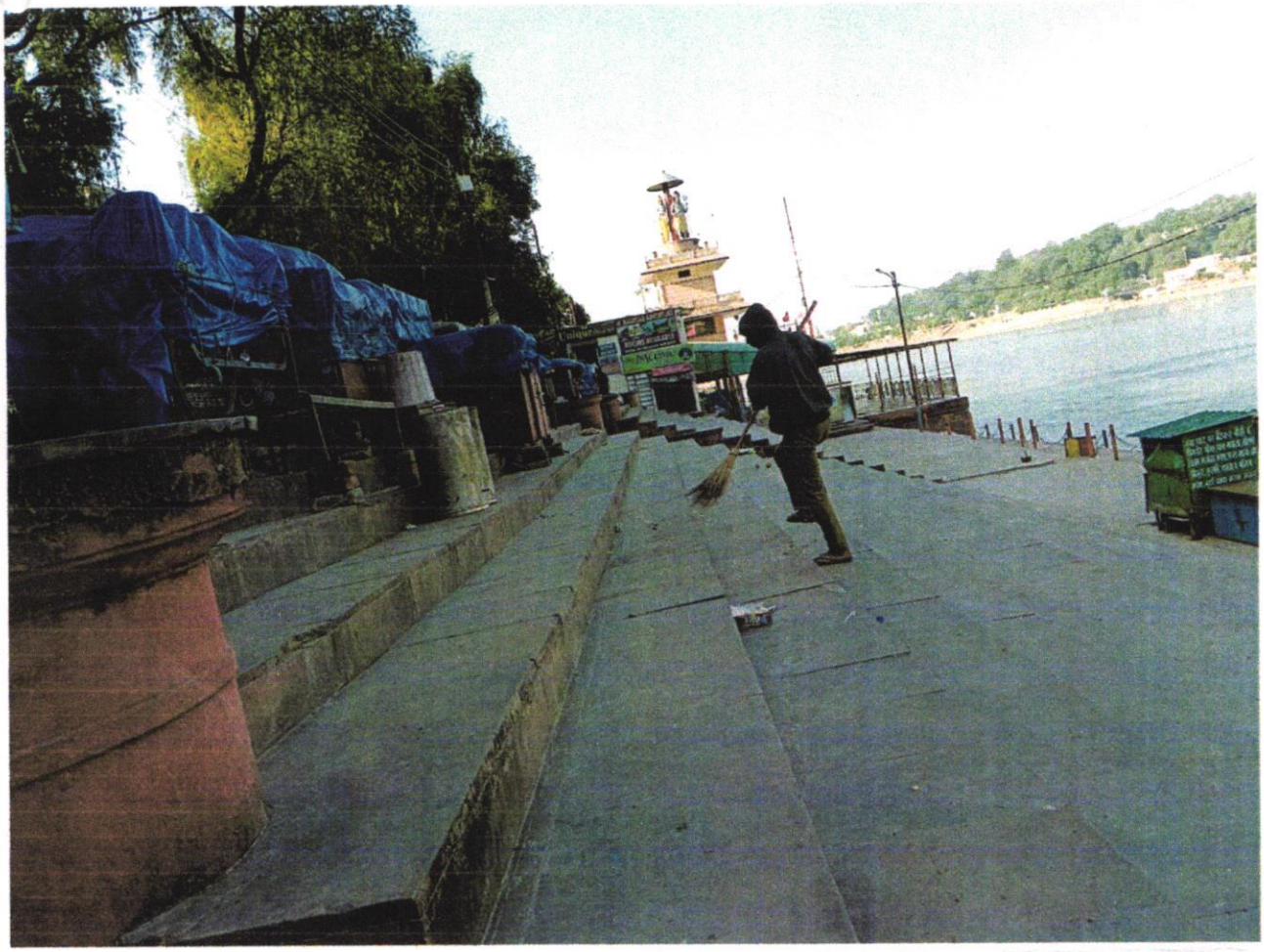

संलग्नक-(1) 7

लक्ष्मीनारायण गंगा घाट पर दैनिक सफाई कार्य करते हुए नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौंक के पर्यावरण मित्र

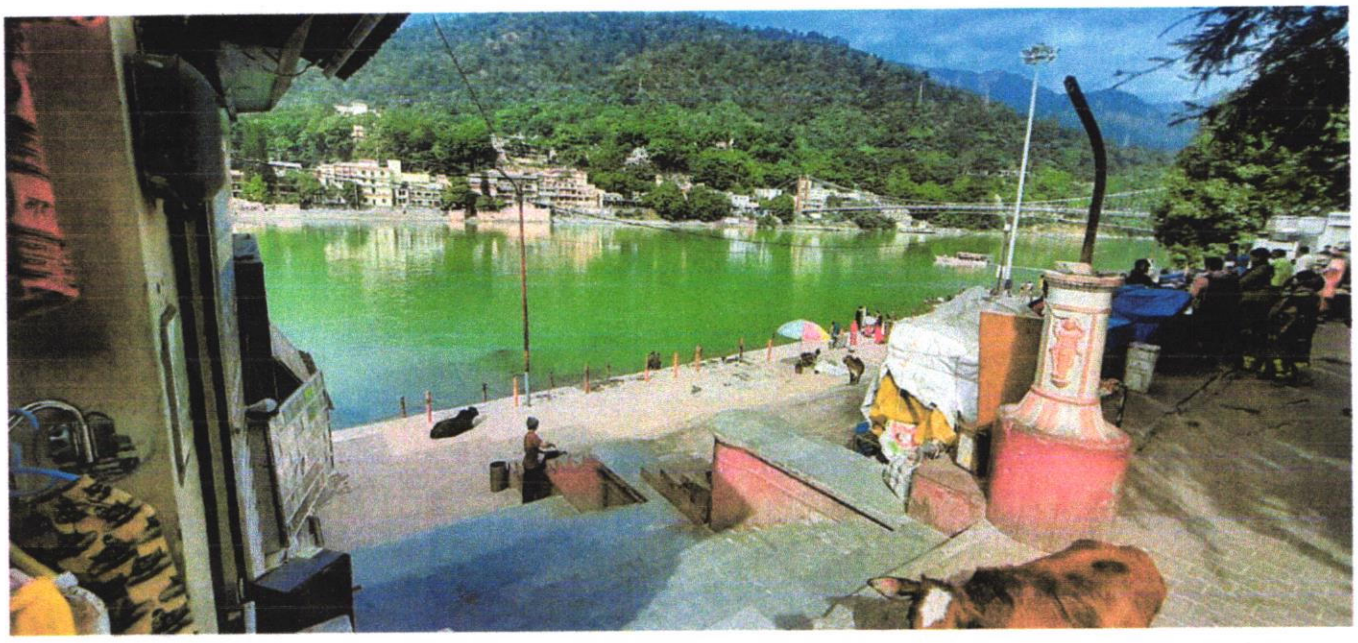

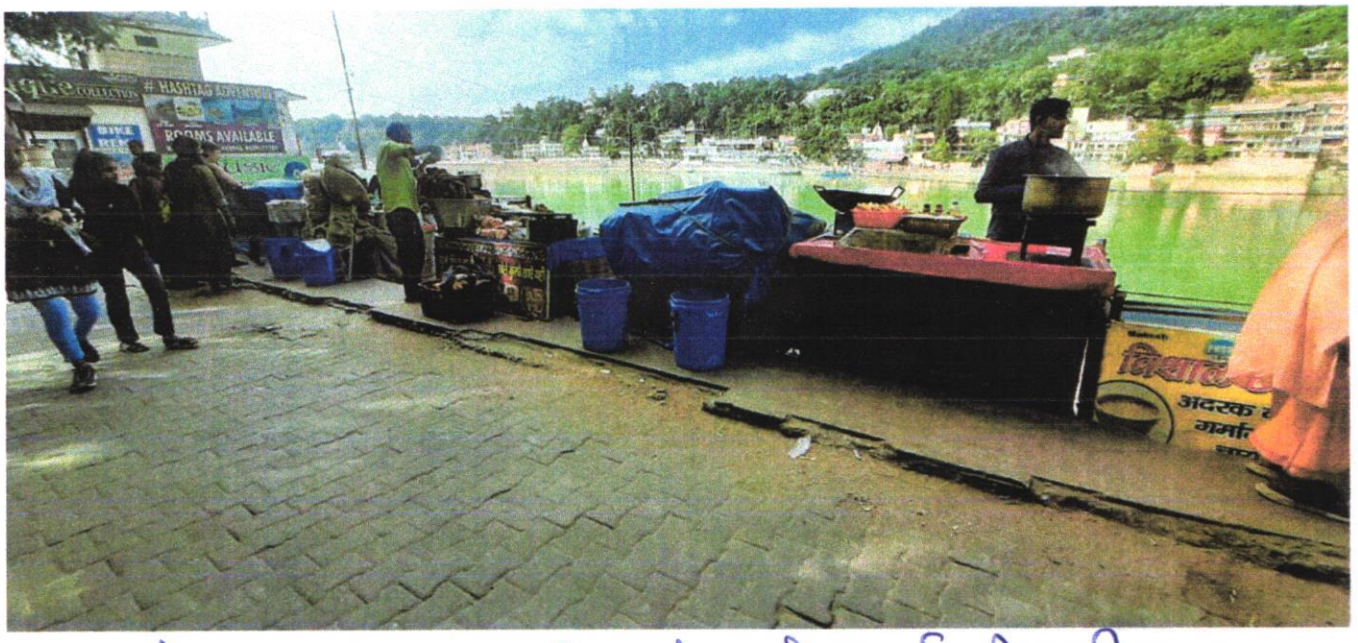

लक्ष्मीनारायण गंगा घाट की सामने वाले मार्ग की पटरी पर लगे फड़/ठेली तथा अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु रखे कूड़ादान